18.11.24 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण में संशोधित निर्णय हेतु प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें तहसीलदार बेंगू कि रिपोर्टअनुसार राजस्व रेकार्ड अनुसार दौराने वाद वादी मुबारिक शाह ने अपने हिस्से मेसे 16/73 हिस्सा जगदीश चन्द्र पुत्र राम सुख माली को विक्रय कर दी है। एंव प्रतिवादी स.1/1, 1/13, ने अपना हिस्सा मुरली धर को विक्रय कर दिया गया है। जिसका नामन्तरण भी स्वीकृत हो चुका है। वादी ने अपने वाद पत्र मे आ.स. 36, 37, 38, 39, 40 कुल किता-5 कुल रकबा 2.2030 है भूमि मे अपना 1/3 बताते हुए मिटस एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कर राजस्व रिकार्ड मे स्वतंत्र रूप से दर्ज किये जाने की घोषणा चाही गई थी। किन्तु वादी ने दौराने वाद ही अपने हिस्से मे से 16/73 हिस्से का विक्रय कर दिया है। जिससे वादवर्णित आराजी मे वादी का 1/3 हिस्सा नही रहा है। ऐसी स्थिति मे वाद चलने योग्य नही रहा है। वाद वादी का अपने हिस्से मे से विक्रय कर दिये जाने से दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।